

प्रकरण संख्या :- 28 / 2024  
 प्रकरण दायर दिनांक :- 15.03.2024  
 प्रकरण निर्णय दिनांक :- 08.04.2024


राजस्व ग्राम आमाली स्थित खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने बाबत।

निर्णय दिनांक :- 08.04.2024

तहसीलदार बाँदीकुई ने पत्र क्रमांक: राजस्व/2024/248 दिनांक: 14.03.2024 द्वारा राजस्व ग्राम आमाली स्थित खातेदारी भूमि खसरा नं. 375 में से प्रस्तावित रास्ते को राजस्व रिकार्ड में गै. मु. रास्ता दर्ज करने बाबत प्रस्ताव पेश किया है। प्रस्ताव की ताईद में उपतहसीलदार (भू. अ.) आभानेरी, भू.अ. निरीक्षक एवं पटवारी हल्का आभानेरी मौका फर्द (मौका पर्चा) दिनांक: 11.03.24, राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत 2073-76 ग्राम आमाली खाता सं. नया 22 पुराना 22, संलग्न नक्शा ट्रेस जिसमें प्रस्तावित रास्ते को प्रदर्शित किया गया है, प्रस्तुत की है। उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में खातेदारी दर्ज रिकार्ड है।

प्राप्त प्रस्ताव दर्ज कर तलबी अप्रार्थीगण/खातेदारान जयें नोटिस विधिवत की गई। अप्रार्थीगण/खातेदारान रामावतार पुत्र मूलचन्द व गीता पुत्री दुर्गाप्रसाद के तलबी नोटिस बाद तामील प्राप्त। उक्त खातेदारान उपस्थित नहीं। खातेदार घनश्याम पुत्र दुर्गाप्रसाद स्वयं उपस्थित आये। प्रस्तावित रास्ते हेतु सहमति प्रकट की। आदेशिका पर सहमति बाबत हस्ताक्षर किये गये। हमने प्रस्तुत प्रस्ताव पर प्रार्थी/पैरोकार सरकार व उपस्थित खातेदार को सुना। तहसीलदार बाँदीकुई द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं संलग्न उपतहसीलदार (भू. अ.) आभानेरी, भू.अ. निरीक्षक एवं पटवारी हल्का आभानेरी मौका फर्द (मौका पर्चा) दिनांक: 11.03.24, राजस्व रिकार्ड जमाबंदी एवं नक्शा ट्रेस का अवलोकन किया। प्रस्ताव में संलग्न मौका पर्चा के अनुसार राजस्व ग्राम आमाली स्थित भूमि खसरा नं. 375 में से होकर मौके पर ग्रेवल रोड चालू है। प्रस्ताव में उक्त खातेदारी भूमि में से गै. मु. रास्ता दर्ज करने बाबत निवेदन किया है। अतः प्राप्त प्रस्ताव, संलग्न राजस्व रिकार्ड जमाबंदी एवं नक्शा ट्रेस के अवलोकन के आधार पर प्रस्तावित रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः तहसीलदार बाँदीकुई द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर राजस्व ग्राम आमाली स्थित खातेदारी भूमि खाता सं. नया 22 पुराना 22 के खसरा नं. 375 रकबा 0.03 हैक्ट. में से 0.03 हैक्ट., भूमि संलग्न नक्शा ट्रेस में प्रदर्शित प्रस्तावित के अनुसार गै. मु. रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। प्रस्तावित रास्ते की खातेदारी उक्त खाते में यथावत रहेगी। तहसीलदार बाँदीकुई नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। पालना हेतु तहसीलदार बाँदीकुई को तहरीर जारी हो। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

  
 (रामसिंह राजावत)  
 उपखण्ड अधिकारी.  
 उपखण्ड अधिकारी  
 बाँदीकुई

24/118

# FORM No. III

## फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत

कलेक्टर

मुकाम

बांदीकुई

बनाम

श्री. प. क. क. क.

कस्म मुकदमा

101/10/2024

नं०

28

तारीख 2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
------------	-----------------------------------	--

15/11/24

लहसीनदार बांदीकुई द्वारा खोलेदारी जमीने में जोड़े पर चालू रास्ते को जैर मुमकिन रास्ता दर्ज करे पर अस्ताव अस्तुत किता गला। अस्ताव/उकरण दर्ज अतिस्तर कर तलबी क्लेडामी खोलेदारीगन जैर नोटिस की जावर पतावली दि. 8/11/2024 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी  
बांदीकुई

धन अघा प्रशासक  
राष्ट्र हेतु  
सहम 17

8/11/24

पतावली पेश हुई। जामिनी पेशेकर सरकार उपरान खोलेदारीगन समाकलर पुत्र सुलभन 9 गील पुत्र दुर्गाप्रसाद के तलबी कोटिस अडवालीगन प्राप्त। इम्ट खोलेदारीगन ह्यास्मित कही। खोलेदारीगन धन अघा प्रशासक पुत्र पुत्रपिकाड एके ह्यास्मित कागज शस्ते हेतु सहमति उकर की। कोटिसिंग पर इस काषट हस्ताक्षर किये। अस्तुत अस्ताव पर जामिनी/पेशेकर सरकार व ह्यास्मित खोलेदारीगन को हुला। लहसीनदार बांदीकुई द्वारा अस्तुत अस्ताव एवं खोलेदारीगन इस्ताविकात का कवलाकन किता। मुलाकिक मोक रिपोर्ट अस्तावित रास्ता मोंडे पर चालू है। परन्तु राजस्व रिमांड में दर्ज मही है। अतः लहसीनदार बांदीकुई द्वारा अस्तुत अस्ताव एवं खोलेदारीगन इस्ताविकात के कवलाकन के आधार पर अस्तावित रास्ते का राजस्व रिमांड में कंकन किये जाने के कोटिस दिने जाते हैं।

उपखण्ड अधिकारी  
बांदीकुई

हुक्म या कार्यवाही मय इमिश्नियल्स जज

नम्बर  
अहकाम  
हुक्म की  
में जारी

परिचित रास्ते की खादेदारी अभाव रहेगी।  
विस्तृत निर्णय पुस्तक से लिखा जाकर शामिल  
कावली किया गया। पालना हेतु तहसीलदार  
बादीकुई को तहरीर जारी हो। पत्रावली फिलहाल  
अनुप होकर की तकनीक कागजिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी  
बादीकुई

उपखण्ड अधिकारी  
बादीकुई

पुस्तक प्रकृतियों के लिए विस्तृत निर्णय  
उपखण्ड अधिकारी, बादीकुई, जिला  
कोटा, राजस्थान।  
पुस्तक प्रकृतियों के लिए विस्तृत निर्णय  
उपखण्ड अधिकारी, बादीकुई, जिला  
कोटा, राजस्थान।  
पुस्तक प्रकृतियों के लिए विस्तृत निर्णय  
उपखण्ड अधिकारी, बादीकुई, जिला  
कोटा, राजस्थान।